

पत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट) कैंप

- आदेश -

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गित्ठुड
व भूआनि गित्ठुड की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गित्ठुड / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम गित्ठुड तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2033 में खाता संख्या 1685 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है)
1.	गित्ठुड	1685	विष्णुचंवर कुत्री मनोहर सिंह (स. वी. वी. जे. शाखा गित्ठुड)	विष्णुचंवर कुत्री मनोहर सिंह (स. वी. आई. शाखा गित्ठुड)

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 9/10/25

क्रमांक - 267
प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर